उपखण्ड अधिकारी धोद

हरिसिंह आदि v/s मूर्ति मंदिर श्री गोविन्द देव जी

136 CR (377/2023)

29/9/23 पत्रावली पेश हुई वकील अप्रार्थी उपस्थित। बहस अप्रार्थी से सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 6/10/23 को पेश हो।

6/10/23 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 10/10/23 को पेश हो।

10/10/23 पत्रावली वास्ते आदेश पेश की। वकील अप्रार्थी उपस्थित। बहस पर गौर किया। समस्त पत्रावली मय दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीगण/अप्रार्थी सं. 2 का मौखिक रूपेण आवेदन निर्णित वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी का आदेश क. अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान अधिनियम, 1956 को एवं सार पर पारित किया जाता है जिसे पृथक से लेखबद्ध किया गया है। बाद वांछित पत्रावली ... पत्रावली केन्द्र (रेकॉर्ड) रूम बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 11:57:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

बइजलास राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 377/2023/प्रार्थना–पत्र अ.धारा 136 एल.आर.एक्ट, 1956

हरिसिंह आदि

बनाम

मूर्ति मंदिर श्री गोविन्द देव जी, सीकर तथाकथित पुजारी श्री राजेन्द्र आदि

विधिक आपत्ति आवेदन दिनांकित 02.07.2025

उपस्थिति–
1. श्री हरीश शर्मा, वकील आपत्तिकर्ता/अप्रार्थी सं. 1 की ओर से
2. श्री प्रभातीलाल, वकील जवाबदातागण/प्रार्थीगण की ओर से

आदेश

दिनांक– 10.10.2025

वकील आपत्तिकर्ता/अप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत विधिक आपत्ति आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि "आवेदकगण द्वारा आवेदन बाबत मूर्ति मंदिर श्री गोविन्द देव जी वाके सीकर खातेदार का नाम कृषि भूमि खसरा सं. 84 रकबा 1.9100 हेक्टेयर, खसरा सं. 85 रकबा 2.2700 हेक्टेयर, खसरा सं. 93 रकबा 1.0600 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 5.2400 हेक्टेयर वाके ग्राम भैंरूपुरा पटवार हल्का पूर्णपुरा तहसील धोद जिला सीकर के राजस्व रिकॉर्ड से हबज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में आवेदकगण का नाम दर्ज किए जाने के तहसीलदार, धोद जिला सीकर को आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व रिकार्ड में सहवन व भूलवश त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त किया जा सकता है। परन्तु आवेदकगण द्वारा इस आवेदन के मार्फत खातेदार काश्तकार उद्घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया है, जो इस आवेदन से नहीं दिया जा सकता। इस कारण आवेदन प्रथम दृष्ट्या ही सारहीन होकर खारिज किये जाने योग्य है। वाके ग्राम भैंरूपुरा तहसील धोद जिला सीकर के खसरा सं. 84, 85, 93, जिनके पुराने खसरा सं. 24 थे, जो मंदिर मूर्ति श्री गोविन्द देव जी वाके सीकर के खातेदारी की रही है, जिसकी पुष्टि संवत् 2017–2020 की जमाबन्दी (खेवट खतौनी) जागीर आय का पर्चा में इन्द्राज होने से होती है। इस प्रकार मूर्ति मंदिर के नाम से चली आ रही है। कृषि भूमियों पर गलत रूप से खातेदारी अधिकार की उद्घोषणा प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से की जा रही है, जो मूर्ति मंदिर की खातेदारी किसी भी परिस्थिति अथवा कानूनी प्रावधान के तहत मूर्ति मंदिर जो चिर अवयस्क है कि खुद काश्त व खातेदारी की भूमि की खातेदारी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं की जा सकती। इसलिए प्रार्थीगण का आवेदन दुरूस्ती कानूनन चलने योग्य नहीं है। मूर्ति मंदिर की खातेदारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही करने का आवेदन प्रस्तुत आवेदन पेश होने के पूर्व ही तहसीलदार धोद के समक्ष पेश करने तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने पर मंदिर मूर्ति की भूमि को अतिक्रमण मुक्त किये जाने के आदेश राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 16721 के प्रकाश में दिये गये जिस पर प्रार्थी द्वारा जिला कलेक्टर, सीकर को निर्णय की प्रति सहित प्रार्थना पत्र दिया गया जिस पर पत्रांक राजस्व/2024/713 दिनांक 20.05.2024 के क्रम में पालना रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर से मांगे जाने पर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर के पत्र क्रमांक एलपीसी/2024/141 दिनांक 23.05.2024 मंदिर भूमि से अतिक्रमण हटवाने बाबत तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें अतिक्रमियों द्वारा भूमि के स्वामित्व संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने तथा मंदिर मूर्ति श्री गोविन्द दे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 14:57:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला–सीकर

जी वाके सीकर के नाम होने पर भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही चालू कर दी गई है, की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई एवं मौके पर कार्यवाही चालू होने पर उससे बचने के लिए यह निराधार आवेदन पेश किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। मंदिर मूर्ति को चिर अवयस्क है, जिसके नाम से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही रहा होने तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा बंटाईदार/पुजारी होने आदि कारणों से काश्त किये जाने पर राजस्व रिकॉर्ड के गलत इन्द्राज को कभी भी दुरूस्त किया जा सकता है। इस हेतु राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 3 (2) राज–6/2007/पार्ट /5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 में समस्त संभागीय आयुक्त/समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान को निर्देशित किया गया कि मूर्ति मंदिर की भूमियों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण होने पर धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत उनके प्रकरण दर्ज कर तदनुसार प्रभावी निस्तारण करेंगे। उपरोक्त निर्देशों की पालना में विभागीय कार्यवाही से बचने के लिए यह आधारहीन आवेदन पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत यह आवेदन विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज फरमाया जावें।''

विधिक आपत्ति आवेदन पेश होने पर उक्त की प्रति वकील जवाबदातागण/प्रार्थीगण को दिलवाई गई। वकील जवाबदातागण/प्रार्थीगण ने उक्त का मदवार जवाब पेश किया, जिसमें सारतः उल्लेखित किया गया कि ''मद सं. 1 जिस प्रकार से तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। अनावेदक ने आवेदक द्वारा चाहा गया आनुतोष को तोड़ मरोड़ कर अंकित किया है। आवेदक द्वारा चाहा गया अनुतोष इस प्रकार से है– "अतः आवेदन मय शपथ पत्र एवं मय दस्तावेजात प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया जाकर विधि के प्रावधानो के अनुसार एवं राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र कमांक प.3(2)राज. 6/07/19 दिनांकित 25.11.2011 के अनुसरण में "मूर्ति मंदिर श्री गोविन्द देव जी वाके सीकर खातेदार" (अनावेदक सं. 1) का नाम कृषि भूमि खसरा सं. 84 रकबा 1.9100 हेक्टेयर, खसरा सं. 85 रकबा 2.2700 हेक्टेयर, खसरा सं. 93 रकबा 1.0600 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 5.2400 हेक्टेयर वाके ग्राम भैंरूपुरा पटवार हल्का पूर्णपुरा तहसील धोद जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड से हजब किया जाकर राजस्व रिकार्ड में द्वितीय भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी जमाबंदी से पूर्व दर्ज खातेदारान का नाम संवत् 2029–2032 के अनुसार दर्ज किया जाने एवं उनकी मृत्यु हो जाने के कारण आवेदक सं. 1 का नाम खसरा सं. 84 रकबा 1.9100 हेक्टेयर में 1/2 हिस्सा पर एवं आवेदक सं. 2 एवं अनावेदक सं. 5 का नाम 1/2 हिस्सा पर दर्ज किया जाने एवं खसरा सं. 93 रकबा 1.0600 हेक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में आवेदक सं. 3 व 4 का नाम समान अंश में दर्ज किया जाने तथा खसरा सं. 85 रकबा 2.27 हेक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में आवेदक सं. 5 का नाम दर्ज किया जाने का तहसीलदार धोद जिला सीकर को आदेश प्रदान करने की कृपा करे।" मद सं. 2 जिस प्रकार से तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी/आवेदन प्रस्तुतकर्ता ने राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक पं.3 (2) राज.6/07/19 जयपुर दिनांक 25.11.2011 नजरअंदाज करके यह आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परिपत्र धारा 136 एलआर एक्ट के इस आवेदन का पार्ट है, जिसके तहत भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गयी इस प्रकार की त्रुटियों को धारा 136 एलआर एक्ट के आवेदन के द्वारा दुरूस्त करने का परिपत्र जारी किया था तथा जो भी कोई प्रविष्टि बिना किसी सक्षम आदेश के राजस्व रिकार्ड में की जाती है। वह प्रविष्टि "क्लरीकल मिस्टेक" की परिभाषा में आती है। यहां गौरतलब यह है कि द्वितीय भू–प्रबंध कार्यवाही के पूर्व संवत् 2012 से 2034 तक जवाबदातागण के पूर्वज निरन्तर खातेदार रहे हैं। परन्तु भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान भू–प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के दर्ज खातेदारान का नाम विलोपित करके अनावेदक सं. 1 का नाम खसरा पत्रक में अंकित करके सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जारी की गयी जमाबंदी संवत् 2041 से 2060 में अंकन कर दिया, जिसके आधार पर अनावेदक को खातेदार मान्य नहीं किया जा सकता तथा धारा 136 एल.आर. एक्ट के आवेदन का गुणावगुण पर निर्णय होता है। इस प्रकार के विधिक आपत्ति आवेदन के आधार पर नहीं होता है। अनावेदक धारा 136 एल.आर. एक्ट के आवेदन का समुचित जवाब प्रस्तुत करने एवं इस विधिक आपत्ति में अंकित की गयी आपत्तियां जबाब में उठाने हेतु स्वतंत्र है। इसलिए आवेदन सारहीन होने के कारण खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। मद संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 14:37:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

3 जिस प्रकार से तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त कृषि भूमि कभी भी मूर्ति मंदिर श्री गोविन्ददेवजी की "खुद काश्त" की नहीं रही है। बल्कि जागीरदारी में रही है तथा जागीदारी का अवसान राजस्थान जागीरदारी रिजम्पसन एक्ट, 1952 से हो चुका है ना ही मूर्ति मंदिर की कभी खातेदारी में भूमि रही है। बल्कि जवाबदातागण के पूर्वज निरन्तर काबिज होकर काश्त करते थे, जिन्हें बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे, जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में द्वितीय सैटलमेन्ट कार्यवाही के पूर्व तक अर्थात् संवत् 2012 से 2034 तक निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहा है तथा कब्जा स्वीकृत रूप से जवाबदातागण के पूर्वजों का एवं वर्तमान में जवाबदातागण का है। इसलिए आवेदन सारहीन होने के कारण चलने योग्य नहीं है। मद सं. 4 जिस प्रकार से तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। जवाबदातागण अतिक्रमी नहीं है। बल्कि कृषक खातेदार है, जिनके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के किसी परिपत्र के अनुसार किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया था, ना ही राज्य सरकार का उक्त परिपत्र वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड की प्रकृति को देखते हुए लागू है। क्योंकि वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में द्वितीय सैटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान बिना किसी सक्षम आदेश के मूर्ति मंदिर श्री गोविन्ददेवजी का नाम अंकित किया गया था, जिसकी दुरूस्ती का आवेदन माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा धारा 136 के तहत दुरूस्ती हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का परिपत्र जारी किया हुआ है, जिसका संपूर्ण विवरण जवाबदाता ने धारा 136 एलआर एक्ट के मूल आवेदन में अंकित किया है। विधिक आपत्ति आवेदन प्रस्तुतकर्ता मूर्ति मंदिर श्री गोविन्ददेवजी की आड़ में जवाबदातागण से अन्यथा लाभ अर्जित करना चाहता है, जो कि जवाबदातागण को कई बार धमकी दे चुका है, जिसने यह विधिक आपत्ति आवेदन सर्वथा मिथ्या प्रस्तुत किया है। इस आवेदन से पूर्व भी प्रार्थी ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे माननीय न्यायालय हाजा द्वारा खारिज किया जा चुका है। उसी आवेदन की तर्ज पर यह दूसरा आवेदन पुनः प्रस्तुत कर दिया जिसमें इस प्रकरण से असंबंध तथ्य अंकित किये है। जवाबदातागण अतिक्रमी नहीं है, ना ही मूर्ति मंदिर श्री गोविन्ददेवजी खातेदार है। बल्कि उनका नाम द्वितीय सैटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान बिना किसी सक्षम आदेश के राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। जिसकी दुरूस्ती के लिए धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत विधिवत आवेदन प्रस्तुत किया हुआ है। इसलिए आवेदन सारहीन होने के कारण खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। मद सं. 5 जिस प्रकार से तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने जिस सर्कुलर दिनांकित 12.09.2018 का इस मद में अंकन किया है उक्त सर्कुलर वादग्रस्त कृषि भूमि पर लागू नहीं है। क्योंकि वादग्रस्त कृषि भूमि मूर्ति मंदिर की कभी खुद काश्त की नहीं रही है, ना ही मूर्ति मंदिर का नाम राजस्व रिकार्ड में किसी नियमित वाद की डिक्री अथवा रिफरेंस से दर्ज हुआ है। बल्कि द्वितीय सैटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान बिना किसी सक्षम आदेश के सैटलमेन्ट कर्मचारियों ने दर्ज कर दिया, जिसके लिए सैटलमेन्ट कर्मचारी अधिकृत नहीं थे ना ही राज्य सरकार का इस प्रकार का कोई परिपत्र है कि "राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात को कभी भी दुरूस्त किया जा सकता है।" यहां यह उल्लेखनीय है कि जो तथ्य प्रार्थी ने इस मद में अंकित किये है, वे तथ्य पूर्णतया भ्रामक है। मूर्ति मंदिर श्री गोविन्ददेवजी का तथाकथित पुजारी माननीय न्यायलय हाजा के समक्ष स्वच्छ हाथों से नही आया है। बल्कि उसने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह आवेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए आवेदन सारहीन होने के कारण खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थी ने धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत प्रस्तुत आवेदन में विधिक आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम अथवा अन्य किसी अधिनियम के किस प्रावधान के तहत प्रस्तुत किया है। उसका अंकन नहीं किया है ना ही इस प्रकार के विधिक आपत्ति आवेदन धारा 136 एलआर एक्ट के आवेदन में प्रस्तुत करने का कोई कानूनी प्रावधान है। बल्कि धारा 136 एलआर एक्ट के आवेदन के जवाब आने एवं विधिक प्रक्रिया की पूर्णतया पालना होने के पश्चात "गुणावगुण" पर ही निर्णित किया जाने का कानूनी प्रावधान है। इस प्रकार के किसी विधिक आपत्ति आवेदन के आधार पर धारा 136 एलआर एक्ट के आवेदन को निर्णित नहीं किया जा सकता। बल्कि गुणागुण पर ही निर्णित किया जाने का कानूनी प्रावधान है। इसलिए आवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 11:57:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

सारहीन होने के कारण खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 के विधिक आपत्ति आवेदन को खारिज किया जावें।"

बहस उभयपक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील आपत्तिकर्ता/अप्रार्थी सं. 1 ने बहस के दौरान अपने आपत्ति आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 136 के तहत पेश किया गया है, जो कि विधिसम्मत नहीं होने से विधिक आपत्ति को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अं.धारा 136 एल.आर. एक्ट, 1956 को खारिज फरमाया जावें। इसके विपरीत वकील जवाबदातागण/प्रार्थीगण ने बहस के दौरान अपने जवाब विधिक आपत्ति आवेदन व अपने मूल प्रार्थना-पत्र में दर्ज मुख्य तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन विधिनुसार पेश किया गया है। अतः वकील आपत्तिकर्ता/अप्रार्थी सं. 1 का विधिक आपत्ति आवेदन विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जावें।

हमने उभयपक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत आवेदन वर्ष 2023 में भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत पेश किया, जिसमें प्रार्थीगण ने वर्णित वादग्रस्त आराजियात की खातेदारी वर्तमान खातेदार "मूर्ति मंदिर श्री गोविन्दजी वाके सीकर हिस्सा पूर्ण खातेदार" के स्थान पर खुद के नाम दुरूस्त करने बाबत अनुतोष चाहा है। प्रार्थीगण के उक्त अनुतोष के संबंध में वकील अप्रार्थी सं. 1/आपत्तिकर्ता ने विधिक आपत्ति आवेदन पेश कर प्रार्थीगण का आवेदन भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, जो कि विधिसम्मत नहीं होने से खारिज करने का आक्षेप अपने विधिक आपत्ति आवेदन में पेश किया है। समग्र राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात आदि के गहन अवलोकन से स्पष्ट रूप से जाहिर है कि प्राथीगण ने जो आवेदन धारा 136 के तहत पेश किया है, जिसमें वर्तमान खातेदारी को हतब किया जाकर अपने नाम दर्ज करवाकर दुरूस्ती करवानी चाही है। उक्त के संबंध में अपने समर्थन में ऐसा कोई ठोस सबूत/साक्ष्य/दस्तावेजात आदि पेश नहीं किया है, जिसके आधार पर खातेदारी उनके नाम दर्ज की जा सके। वकील प्रार्थीगण का हस्तगत आवेदन बिना किसी प्रर्याप्त आधारों के पेश किया होन से प्रार्थीगण का हस्तगत आवेदन भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत कवर नहीं होना प्रमाणित है। अतः उक्तानुसार प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विधिसम्मत न होने से उक्त आवेदन आगे चलने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः वकील आपत्तिकर्ता/अप्रार्थीगण सं. 1 का विधिक आपत्ति आवेदन दिनांकित 02.07.2025 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को इसी स्तर खारिज किया जाता है। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल अभिलेखागार हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद ★ जिला-सीकर (राज.) ★

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 11:57:02 IST
Reason: SelfAttested